वित्तीय स्वीकृति

संख्या-18/2022/2334/52-3-22- 3002(002)/8/2021

प्रेषक,

गुलाब सिंह.
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण.
उ0प्र0 लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 28 दिसम्बर, 2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु केन्द्र पुरोनिधानित मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत कार्यरत आधुनिक विषयों के शिक्षकों को राज्य सरकार के बजट से प्रतिमाह अतिरिक्त मानदेय प्रदान किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3804/अ0सं0/मद0आधु0-03/2022, दिनांक 30-11-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत जिलों की मॉग के अनुसार शिक्षकों को मानदेय हेतु प्रावधानित धनराशि में से निम्न तालिका के अनुसार धनराशि निर्गत करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है :-

बजट प्राविधान	कुल आवश्यकता की धनराशि	शासन द्वारा निर्गत धनराशि	अवशेष आवश्यकता की धनराशि
85,00,00,000.00	71,04,20,000.00	28,33,32,000.00	42,70,88,000.00

चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में शासन द्वारा निर्गत धनराशि रू० 28,33,32,000.00 के सापेक्ष जनपदों द्वारा रू० 22,80,18,931.00 का व्यय/उपभोग किया जा चुका है तथा रू० 05.53,13,069.00 का व्यय जनपदों द्वारा कर लिया जाएगा। अतएव रू० 42,70,88,000.00 (रूपया बयालीस करोड़ सत्तर लाख अट्ठासी हजार मात्र) की धनराशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0- 15/2021/ बी-1-829/दस- 2021-231/2022, दिनांक 30.12.2021 के प्रस्तर-2 (7) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार तथा सं0-5/2022/बी-1-224/दस- 2022-231/2022, दिनांक-29 मार्च, 2022 व केन्द्र पुरोनिधानित मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत कार्यरत आधुनिक विषयों के शिक्षकों को शासनादेश संख्या-2817/52-3-16- मा(8)/14, दिनांक-28.11.2016 में निर्गत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

दिशा-निर्देशों के अनुरूप राज्य सरकार के बजट से प्रतिमाह अतिरिक्त मानदेय प्रदान किये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में योजनान्तर्गत राज्य सरकार के अंश के भुगतान हेतु लेखानुदान में प्रावधानित धनराशि रू0 8500.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 5666.68 लाख में से रू० 42,70,88,000.00 (रूपया बयालीस करोड़ सत्तर लाख अट्ठासी हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत कर आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) राज्य सरकार द्वारा मानदेय के रूप में दिये जाने वाले अतिरिक्त अनुदान का भुगतान केवल उन्हीं मदरसों में कार्यरत आधुनिक विषयों के शिक्षकों को किया जायेगा जो कि भारत सरकार की "मदरसा आधुनिकीकरण योजना" से आच्छादित है। तथा पूर्व में भारत सरकार द्वारा मदरसे में कार्यरत आधुनिक विषयों के मानदेय का भुगतान किया गया है।

(2) कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाक घर में जमा नहीं किया जायेगा।

(3) किसी भी दशा में उक्त धनराशि से किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा ।। (4) मानदेय के रूप में राज्य सरकार द्वारा देव अतिरिक्त धनराशि संबंधित शिक्षक के व्यक्तिगत बैंक खाते में अन्तरित की जायेगी।

(5) उत्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि मदरसों के अस्तित्व के संबंध में पूरी तरह से आश्वस्त होने एवं आधुनिक विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य अध्ययन) के शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों के अध्यापन की पुष्टि होने के पश्चात ही धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण / उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को 31.03.2023 तक उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) धनराशि का आवंटन (एलॉटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति ग्राम की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाया।

(8) उक्त वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि निदेशक/रजिस्ट्रार द्वारा संबंधित मदरसों को अनुदान की धनराशि तभी निर्गत की जायेगी, जब वह मदरसे के संबंध में नियमो / शासनादेशों के अन्तर्गत निर्धारित व्यवस्था के अनुसार समन्त मानकों की पूर्ति संबंधी प्राविधानों के अनुपालन की स्थिति से संतुष्ट हो लेंगे।

(9) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0 एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(10) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

(11) उक्त स्वीकृत धनराशि से शिक्षक के किसी भी बकाया एरियर आदि का भुगतान बिना शासन की अनुमति लिये नहीं किया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-01 प्रारंभिक शिक्षा-800 अन्य व्यय-02-अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अरबी फारसी मदरसों का आधुनिकीकरण-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" में प्रावधानित धनराशि से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30.12.2021 तथा दिनांक-29 मार्च, 2022 में निहित प्रावधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(गुलाब सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या-2334(1)/52-3-22, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ०प्र०, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ०प्र०, प्रयागराज।
3. कोपाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4. रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (ई-4) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1(02 प्रतियों में)/ नियोजन अनुभाग-3
6. अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गुलाब सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।